

(भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

स. 13017/52/2012-अ.भा.से.-(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 20 जनवरी, 2014

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार और केरल सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार एतद्वारा सुश्री ए. शैनामोल, आईएएस (एचपी:07) का हिमाचल प्रदेश संवर्ग से केरल संवर्ग में अनुकम्पा आधार पर मौजूदा दिशा-निर्देशों को शिथिल करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

2. अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति हेतु इस अनुमोदन से उस रिट याचिका में सरकारी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसे सुश्री ए. शैनामोल, आईएएस (एचपी:2007) ने अपने हिमाचल प्रदेश संवर्ग आर्बंटन के विरुद्ध दायर कर रखी है।

  
(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा)।